अलवर

24-12-21 पत्रावली पेश हुई। निर्णय पृथक से लिखवाया। जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली [illegible] होने बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे।

उपखण्ड अधिकारी

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,अलवर जिला अलवर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : प्रतीक जुईकर (आई0ए0एस)

मु.नं.	तारीख दायर	तारीख निर्णय
2/13	27.01.2022	24-12-2024

उनवान

1:—शरीफ खां पुत्र स्व० बुद्ध सिंह उम्र करीब 55 साल,

2:—आजाद खां पुत्र बुद्ध सिंह उम्र करीब 50 साल, जातियान मेव निवासीयान ग्राम सामोला तहसील व जिला अलवर – राजस्थान ।

वादी/प्रार्थी

बनाम

1:—मम्मू खां-पुत्र स्व० बुद्ध सिंह उम्र करीब 52 साल,

2:—जमशेद पुत्र स्व० बुद्ध सिंह उम्र करीब 45 साल,

3:—बने खां पुत्र स्व० बुद्ध सिंह उम्र करीब 40 साल,

4:—फकरू खां पुत्र स्व० बुद्ध सिंह उम्र करीब 35 साल, जातियान मेव निवासीयान ग्राम सामोला तहसील व जिला अलवर—राजस्थान ।

5:—उप पंजीयक अलवर प्रथम/द्वितीय

असल प्रतिवादी/अप्रार्थीगण

6:—निजरबी पुत्री स्व० बुद्ध सिंह पत्नि आसीन खां उम्र 50 साल जाति मेव निवासी हाल उलाहेडी तह. व जिला अलवर।

7:—अतरबी पुत्री स्व० बुद्ध सिंह पत्नि असर खां उम्र करीब 45 साल जाति मेव निवासी हाल उलाहेडी तह० व जिला अलवर।

8:—शकील खान पुत्र स्वर्गीय पप्पी पत्नी साबू मेव निवासी गांव चांदोली तहसील व जिला अलवर राज.

9:—शबनम पुत्री स्वर्गीय पप्पी पत्नी रवि खां जाति मेव हाल निवासी मेव का बड़ौदा, अलवर।

10:—शहनाज पुत्री स्वर्गीय पप्पी पत्नी मुबीन जाति मेव हाल निवासी मेव का बड़ौदा अलवर।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

11:–शकिला पुत्री स्व० पप्पी पत्नि रासिद जाति मेव निवासी हाल झारोडा तह० तिजारा जिला अलवर
12:–किस्मत पुत्र गफूर,
13:–खैमना पुत्री कालिया,
14:–दीन मौहम्मद पुत्र कालिया,
15:–पहलदीन पुत्र जाकिर हुसैन,
16:–मुबारिक पुत्र कालिया,
17:–रजना पुत्री कालिया,
18:–शेरसिंह पुत्र गफूर,
19:–सैमना पुत्री कालिया,
20:–हमीदी पत्नि कालिया, जातियान मेव निवासीयान सामोला तहसील व जिला अलवर–राजस्थान

तरतीबी प्रतिवादीगण

21:–तहसीलदार भू०अ० अलवर

तकमीली प्रतिवादी/अप्रार्थी।

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्त.अधिनियम

निर्णय

वकील वादी/प्रार्थी ने वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राज.काश्त.अधिनियम के साथ प्रार्थना पत्र 212 राज.काश्त.अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 37/454 रकबा 5 ऐयर, 95 रकबा 28 ऐयर, 178 रकबा 67 ऐयर, 240 रकबा 98 ऐयर कुल किता 4 कुल रकबा 1 है0 98 ऐयर व आराजी खसरा नम्बर 283 रकबा 1.09 है0, 284 रकबा 79 ऐयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.88 है० वाके ग्राम सामोला तहसील व जिला अलवर में स्थित हैं जो आराजी इस दावे हाजा में विवादित हैं । वादीगण, असल प्रतिवादी सं. 1 ला0 4 व तरतीबी प्रतिवादी सं. 6 ला0 11 का खानदान सजरा निम्न है:–खैराती – मृतक , बुद्ध सिंह – मृतक, शरीफ–पुत्र, मम्मू खां–पुत्र, आजाद खां–पुत्र, जमशेद खां–पुत्र, बनिया खां–पुत्र, फकरू खां–पुत्र, पप्पी–पुत्री–मृतक, निजरबी–पुत्री, अतरबी–पुत्री, शकिल–नवासा, शबनम–नवासी, शहनाज–नवासी, शकिला–नवासी, प्रस्तुत किया गया

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

3. यह हैं कि वादीगण व असल प्रतिवादी सं. 1 ला0 4 तथा तरतीबी प्रतिवादी सं. 6 ला0 7 के पिता व प्रतिवादी सं. 8 ला० 11 के नाना स्व० बुद्ध सिंह, दादा स्व० खैराती व उनके बुजुर्गो की पैतृक वादग्रस्त आराजीयात ग्राम सामोला में स्थित हैं जिसका वर्णन वादीगण द्वारा पने वाद पत्र के पैरा न0 1 में वर्णित किया गया हैं।

विवादित अराजियत में वादी एवं वास्तविक प्रतिवादी नं. 1 ला0 4 एवं बाद में प्रतिवादी सं. 6 ला0 7 एवं प्रतिवादी सं. 8 ला0 11 जन्मसिद्ध अधिकार एवं हिस्सा है यह हैं कि वादग्रस्त जायदाद में वादीगण व असल प्रतिवादी सं. 1 ला0 4 व तरतीबी प्रतिवादी सं. 6 ला0 7 का बाद मृत्यु उनके पिता बुद्ध सिंह के समान 1/9–1/9 व तरतीबी प्रतिवादी सं. 8 ला0 11 की माता श्रीमती पप्पी की मृत्यु हो जाने पर 1/9 सालिम हक व हिस्सा बनता हैं यह हैं कि वादग्रस्त आराजीयात अबट काश्त भूमि हैं जिसका आज दिन तक कोई तकासमा पक्षकारो के मध्य नहीं हुआ हैं असल प्रतिवादी सं. 1 ला0 4 ने वादीगण के पिता बुद्ध सिंह को उसकी वृद्ध अवस्था में मानसिक रूप से विकृत होने के कारण व बुद्ध सिंह मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होने के कारण तथा उसकी वृद्धावस्था का नाजायज फायदा उठाते हुए वादीगण के विरूद्ध असल प्रतिवादी सं. 1 ला0 4 द्वारा एक नाजायज गिरोह बनाकर वादीगण के पिता बुद्धसिंह को अपने बहकावे में लेकर व बुद्ध सिंह को ऑखो से कम दिखाई देने व कानो से कम सुनाई देने का वेजा लाभ उठाकर वादग्रस्त आराजीयात एक फर्जी, नुमाईशी वसीयतनामा दिनांक 30.01.2012 को उप पंजीयक अलवर द्वितीय के यहाँ पर स्टाम्प कीमती 100/–रूपये नम्बरी आर–460068 व तीन सादा कागजो पर टंकणित कराकर कार्यालय उप पंजीयक अलवर द्वितीय के पुस्तक सं. 3, जिल्द सं. 1, पृष्ठ सं. 44, कम सं. 2012000003 दिनांक 30.01.2012 पर पंजीबद्ध करा लिया। जिस फर्जी व नुमाईशी वसीयत की कोई जानकारी वादीगण को पूर्व में नहीं हो सकी और हम वादीगण व असल प्रतिवादी सं. 1 ला0 4 तथा तरतीबी प्रतिवादी सं. 6 ला0 11 के पिता व नाना बुद्ध सिंह का स्वर्गवास दिनांक 31.12.2019 को हो गया

जैसे ही हम वादीगण को असल प्रतिवादी सं. 1 ला० 4 द्वारा फर्जी व नुमाईशी वसीयत की जानकारी अब हुई तो हम वादीगण द्वारा तहसीलदार भू०अ० अलवर के समक्ष उक्त फर्जी व नुमाईशी तौर पर दिनांक 30.01.2012 को कराई गई वसीयत के आधार पर उसका विरासत इंतकाल तस्दीक ना करने तथा उक्त फर्जी.

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

व नुमाईशी वसीयत के आधार पर राजस्व अभिलेख में असल प्रतिवादी सं. 1 ला0 4 के नाम का अंकन ना करने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 20.01.2022 को पेश किया हुआ हैं प्रतिवादी सं. 1 ला0 4 वादीगण के सगे भाई हैं जिनके द्वारा वादीगण के पिता स्वर्गीय बुद्ध सिंह को बहला फुसलाकर व स्व० बुद्ध सिंह की मानसिक स्थिति विकृत होने के कारण उसकी सोचने समझने की शक्ति क्षीर्ण होने तथा बुद्ध सिंह की वृद्धावस्था में उसके देखने सुनने की शक्ति क्षीर्ण का नाजायज फायदा उठाते हुए बगैर वादग्रस्त आराजीयात पर कब्जा लिये दिनांक 30.01.2012 को फर्जी व नुमाईशी तथाकथित वसीयतनामा करा लिया। जो वसीयतनामा फर्जी व नुमाईशी होने के कारण वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के विरूद्ध बातिल, बेअसर व नाकाबिले पाबंदी हैं। जिसकी वादीगण घोषणा कराने के कानूनन अधिकारी हैं

असल प्रतिवादीगण सं. 1 ला० 4 द्वारा वादग्रस्त आराजीयात में वादीगण के 1/9–1/9 यानि 2/9 सालिम हिस्से कब्जे काश्त में पूर्व में कभी किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत पैदा नहीं की और वादीगण आज भी वादग्रस्त पैतृक आराजीयात पर जन्मजात प्राप्त हिस्से पर 2/9 सालिम हिस्से पर काबिज दाखिल रहकर बेरोक टोक काश्त करते चले आ रहे हैं।

यह हैं कि दिनांक 20.01.2022 को असल प्रतिवादी सं. 1 ला० 4 द्वारा दादालाई वादग्रस्त आराजीयात में वादीगण के 2/9 सालिम हिस्से कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हुए असल प्रतिवादी सं. 1 ला0 4 ने वादीगण को जबरन बेदखल करने का प्रयास किया। जब वादीगण ने असल प्रतिवादी सं. 1 ला0 4 से वादग्रस्त आराजीयात दादालाई पैतृक होने के कारण उन्हें प्राप्त जन्मजात हिस्सा को अच्छी में से अच्छी व बूरी में से बूरी तकसीम करने हेतु निवेदन किया तो असल प्रतिवादी सं. 1 ला0 4 ने वादग्रस्त आराजीयात को तकसीम करने से इंकार कर दिया तथा वादीगण को वादग्रस्त आराजीयात से जबरन बेदखल करने का प्रयास किया तथा असल प्रतिवादी सं. 1 ला0 4 ने वादीगण को धमकी दी कि वादग्रस्त आराजीयात का उनके पिता स्व० बुद्ध सिंह से बहला फुसलाकर अपने नाम बाला–बाला फर्जी व नुमाईशी वसीयतनामा करा लिया हैं। जिस वसीयतनामा के आधार पर वह विरासत इंतकाल अपने नाम करा लेंगे तथा विरासत इंतकाल के आधार पर वादग्रस्त आराजीयात व उसके अंश व हिस्से को किसी दीगर व्यक्ति को रहन बय हिब्बा व अन्य प्रकार से अंतरण कर देंगे तथा अंतरण दस्तावेज असल

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

प्रतिवादी सं. 5 के यहाँ पर तस्दीक करा देंगे तथा हम वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजीयात से जबरन बेदखल कर देंगे। यदि असल प्रतिवादीगण अपने बेजा मकसद में सफल हो गये तो वादीगण को नापूर्ति होने वाली क्षति होगी। जिससे वादीगण के पास प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद पत्र न्यायालय हाजा में पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहा हैं

यह हैं कि प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति वादीगण/प्रार्थीगण के पक्ष में साबित व प्रमाणित हैं कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावें कि असल अप्रार्थी सं. 1 ला0 4 फर्जी व नुमाईशी वसीयनामा दिनांक 30.01.2012 के आधार पर वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 37/454 रकबा 5 ऐयर, 95 रकबा 28 ऐयर, 178 रकबा 67 ऐयर, 240 रकबा 98 ऐयर कुल किता 4 कुल रकबा 1 है0 98 ऐयर व आराजी खसरा नम्बर 283 रकबा 1.09 है0, 284 रकबा 79 ऐयर कुल किता 2 कुल रकबा 1. 88 है० वाके ग्राम सामोला तहसील व जिला अलवर व उसके किसी भी अंश व हिस्से को किसी दीगर व्यक्ति को रहन बय हिब्बा व अन्य प्रकार से अंतरण इत्यादि ना करें तथा ना ही वादग्रस्त आराजीयात की बाबत किसी प्रकार का कोई अंतरण दस्तावेज असल अप्रार्थी सं. 5 तस्दीक करें तथा मौके व रिकोर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। आपकी अति कृपा होगी।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणो को जर्ये नोटिस तलब किया गया असल प्रतिवादी स0 01 लगायत 04 की ओर से जबाव पेश किया गया शेष के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल मे ली गई असल अप्रार्थीयान द्वारा जबाव प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थना पत्र आराजी खसरा नम्बर 37/454 रकबा 05 ऐयर, 95 रकबा 28 ऐयर, 178 रकबा 67 ऐयर , 240 रकबा 98 ऐयर कुल किता 04 कुल रकबा 1.98 हैक्टर व आराजी खरारा नम्बर 283 रकबा 1.09 हैक्टर, 287 रकबा 79 ऐयर कुल किता 02 रकबा 1.88 हैक्टर वाके ग्राम सामोला, तहसील व जिला अलवर, राजस्थान में स्थित है तथा सजरा खानदान भी स्वीकार है

आराजी पैतृक आराजी नहीं थी बल्कि स्वर्गीय श्री बुद्ध सिंह की स्वयं की आराजी थी तथा खसरा नम्बर 283 व 284 में उक्त स्वर्गीय श्री बुद्धसिंह का 1/2 हिस्सा था वादीगण या तरतीबी प्रतिवादीगण का उक्त आराजी में कोई हिस्सा नहीं बनता है स्वीकार नहीं है स्वर्गीय श्री बुद्धसिंह अपने जीवन काल तक स्वस्थ्यचित

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

तथा मानसिक रूप से स्वस्थ्य था तथा उनमें किसी भी प्रकार की कोई विकृति नहीं थी और ना ही उनको आँखो से कम दिखाई देता था तथा ना ही कानों से कम सुनाई जाता था। उक्त स्वर्गीय श्री बुद्धसिंह ने अपनी स्वेच्छा से उपरोक्त वर्णित अपनी आराजी की पूर्ण होश हवास बगैर किसी दबावट व बहकावट के प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 के हक में एक वसीयत दिनांक 30. 01.2012 को तहरीर कर उप पंजीयक द्वितीय अलवर के यहां पंजीबद्ध कराई थी वादीगण को उपरोक्त वसीयत की प्रारम्भ से ही जानकारी थी।

वादीगण ने गलत तथ्यों के आधार पर वर्तमान वाद पत्र व प्रार्थना पत्र पेश किया है तथा वादीगण उक्त वसीयत को बातिल व बेअसर व नाकाबिल पाबन्दी घोषित कराने के अधिकारी नहीं है।

उक्त आराजी पर अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 04 काबिज रहकर काश्तकार चले आ रहे है। वादीगण का उक्त आराजी से कोई संबंध व सरोकार नहीं है।

यह कहना गलत है कि दिनांक 20.01.2022 को प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 से वादीगण ने तकसीम करने का निवेदन किया हो। अप्रार्थी संख्या 04 उक्त पंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर स्वर्गीय श्री बुद्धसिहं के देहान्त के पश्चात विधिक प्रकार से वसीयती उत्तराधिकार के रूप में विरासत खुलवाने के अधिकारी है। इस चरण में दर्ज किये गये तथ्य गलत रूप से प्रार्थना पत्र व वाद पत्र की पूर्ति हेतु अंकित किये गये है।

अतः वादीगण का प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति उनके हक में प्रमाणित नहीं है।

प्रतिवादीगणो द्वारा जबाव के साथ निम्न अतिरिक्त कथन भी प्रस्तुत किये गये कि सही तथ्य इस प्रकार है कि उक्त स्वर्गीय श्री बुद्धसिंह के वादीगण व अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 04 पुत्र है तथा 06 लगायत 07 पुत्री है तथा एक पुत्री खुर्शीदन का निधन निःख हो जाने के पश्चात अप्रार्थी संख्या 08 लगायत 11 उसके वारिसान है। तथा उक्त स्वर्गीय श्री बुद्धसिंह की आराजी खसरा नम्बर 37/454 रकबा 05 ऐयर, 95 रकबा 28 ऐयर, 178 रकबा 67 ऐयर, 240 रकबा 98 ऐयर कुल किता 04 कुल रकबा 1.98 हैक्टर व आराजी खसरा नम्बर 283 रकबा 1. 09 हैक्टर, 287

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

रकबा 79 ऐयर कुल किता 02 रकबा 1. 88 हैक्टर का 1/2 भाग वाके ग्राम सामोला, तहसील व जिला अलवर, राजस्थान में स्थित है, जो उनकी आराजी थी स्वर्गीय श्री बुद्धसिंह ने अपने जीवन काल में ही वादी संख्या 01 शरीफ खॉ को जरिये पंजीबद्ध बयनामा दिनांक 10.07.1987 को उसके हिस्से के लिए खसरा नम्बर 32 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा वाके ग्राम सामोला को शादी उर्फ सरदार सिंह पुत्र खड्डी मेव निवासी सामोला से खरीद कर शरीफ खॉ के नाम बयनामा अपनी अर्जित आय से पंजीबद्ध करा दिया था। इस प्रकार शरीफ खॉ का उक्त स्वर्गीय श्री बुद्धसिंह की उक्त आराजी से कोई संबंध व सरोकार नहीं रहा था तथा उक्त जमीन को यूआईटी द्वारा अधिग्रहण किये जाने के पश्चात वादी संख्या 01 ने उसका अकेले ने मुआवजा भी प्राप्त कर लिया है तथा जिसका उल्लेख उक्त वसीयत दिनांक 30.01.2012 में भी किया हुआ है तथा दिनांक 05. 07.2011 को 10 रूपये के स्टाम्प पर वादी संख्या 01 ने अपने पिता के जीवन काल में एक हलफनामा भी तहरीर व तकमील किया था, तथा जिसको पब्लिक नोटेरी से नोटेरी भी कराया गया था जिसकी प्रति मिन अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 04 पेश कर रहे है जिसमें भी वादी संख्या 01 ने स्पष्ट अंकित किया है कि उक्त स्वर्गीय श्री बुद्धसिंह की आराजीयात से कोई उसका कोई संबंध व सरोकार नहीं है तथा एक इकरारनामा बाबत राजीनामा भी उसी दिन शरीफ खॉ के द्वारा स्वर्गीय श्री बुद्धसिंह व अन्य भाईयों के हक में लिखकर दिया था जिसमें भी उक्त तथ्य को स्वीकार किया है, जो इकरारनामा भी पब्लिक नोटेरी से नोटेरी कराया गया है। एक अन्य इकरारनामा शरीफ खॉ ने ही दिनांक 30.12.2011 को बुद्धसिंह के हक में निष्पादित किया था, जिसमें उसके द्वारा खसरा नम्बर 283 व 284 की आराजी के बाबत 3,20,000/– रूपये अपने स्वयं के हिस्से के प्राप्त कर उक्त आराजी से किसी भी तरीके का कोई संबंध व सरोकार नहीं रहेंगा, तहरीर किया था

उक्त आराजी के संबंध में ही एक सहमति पत्र बाबत अनापत्ति पत्र एक स्टाम्प कीमती 100 रूपये दिनांक 29.11.2011 को वादी संख्या 02 आजाद ने पक्षकार नम्बर 01 व बुद्धसिंह पक्षकार नम्बर 02 व अमर श्याम पुत्र राधेश्याम शर्मा पक्षकार संख्या 03 निवासी दिल्ली के हक में निष्पादित किया था जिसमें आराजी खसरा नम्बर 178 में से 5588 वर्गगज जमीन जो बुद्धसिंह ने अमर श्याम को बेची थी, उसमें अपने हिस्से की राशि 29,39,000/– रूपये प्राप्त करने का तहरीर किया

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

है। जो पब्लिक नोटेरी से नोटेरी कराया गया है। तथा बुद्धसिंह की समस्त आराजी में अपना अधिकार/हिस्सा नहीं होना माना है

यह कि दिनांक 06.07.2011 को बुद्धसिंह के जीवन काल में ही उसकी तीनों पुत्रियों ने एक हक त्याग विलेख तहरीर व तकमील कर पब्लिक नोटेरी से नोटेरी कराया था तथा उसी दिन उक्त तीनों पुत्रियों ने एक शपथ पत्र भी तहरीर किया था, जिसमें उक्त आराजी में उन्होने अपना स्वयं का हिस्सा भाईयों के हक में त्याग किया है स्वर्गीय श्री बुद्धसिंह जब तक जीवित रहे तब तक स्वस्थ्यचित थे और उनको सोचने समझने की पूरी शक्ति थी तथा उक्त वसीयत दिनांक 30.01.2012 के निष्पादन के बाद हज जाने के लिए उक्त बुद्धसिंह ने अपना एक पास-पोर्ट संख्या के 4426150 बनवाया था, जो दिनांक 10.04.2012 को जारी किया गया था तथा जिसकी अवधि दिनांक 09.04.2022 तक थी तथा उक्त स्वर्गीय श्री बुद्धसिंह को दिनांक 28.08.2013 को साउदी अरब हज जाने के लिए वीजा भी दिया गया था यह कि उपरोक्त स्थितियों व परिस्थितियों तथा दस्तावेज के निष्पादन किये जाने व जिनकी प्रति न्यायालय श्रीमान में पेश की जा रही है जिससे न्यायालय श्रीमान को रोशन होगा कि उक्त बुद्धसिंह के जीवन काल में व मरणो उपरान्त भी वादीगण की जानकारी में उक्त वसीयत अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 04 के हक में होना जानते हुए भी हम अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 04 को उक्त आराजी से महरूम करने की नियत से तथा उनका इन्तकाल दर्ज ना करने की नियत से वर्तमान दावा व प्रार्थना पत्र झूठे तथ्यों के आधार पर तथा उक्त दस्तावेज के निष्पादन किये जाने के पश्चात भी दायर किया गया है। इस प्रकार वादीगण का उक्त स्वर्गीय बुद्धसिंह की आराजी से कोई संबंध नहीं है

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र वादीगण खारिज फरमाया जावे। तथा चाहा गया अनुतोष प्रार्थीगण को ना दिया जावे।

हमारे द्वारा वकुलाय की बहस सुनी गई वकील वादी ने अपनी बहस मे कथन किया कि असल प्रतिवादी सं. 1 ला0 4 ने वादीगण के पिता बुद्ध सिंह को उसकी वृद्ध अवस्था में मानसिक रूप से विकृत होने के कारण व बुद्ध सिंह मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होने के कारण तथा उसकी वृद्धावस्था का नाजायज फायदा उठाते हुए वादीगण के विरूद्ध असल प्रतिवादी सं. 1 ला0 4 द्वारा एक नाजायज गिरोह बनाकर वादीगण के पिता बुद्धसिंह को अपने बहकावे में लेकर व

उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

बुद्ध सिंह को ऑखो से कम दिखाई देने व कानो से कम सुनाई देने का बेजा लाभ उठाकर वादग्रस्त आराजीयात एक फर्जी, नुमाईशी वसीयतनामा दिनांक 30.01.2012 को उप पंजीयक अलवर द्वितीय के यहाँ पर स्टाम्प कीमती 100/–रूपये नम्बरी आर–460068 व तीन सादा कागजो पर टंकणित कराकर कार्यालय उप पंजीयक अलवर द्वितीय के पुस्तक सं. 3, जिल्द सं. 1, पृष्ठ सं. 44, कम सं. 2012000003 दिनांक 30.01.2012 पर पंजीबद्ध करा लिया। जिस फर्जी व नुमाईशी वसीयत की कोई जानकारी वादीगण को पूर्व में नहीं हो सकी और हम वादीगण व असल प्रतिवादी सं. 1 ला0 4 तथा तरतीबी प्रतिवादी सं. 6 ला0 11 के पिता व नाना बुद्ध सिंह का स्वर्गवास दिनांक 31.12.2019 को हो गया अर्थात वसीयत फर्जी है

वकील प्रतिवादी ने अपनी बहस मे कथन किया कि श्री बुद्धसिंह ने अपने जीवन काल में ही वादी संख्या 01 शरीफ खॉ को जरिये पंजीबद्ध बयनामा दिनांक 10.07.1987 को उसके हिस्से के लिए खसरा नम्बर 32 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा वाके ग्राम सामोला को शादी उर्फ सरदार सिंह पुत्र खड्डी मेव निवासी सामोला से खरीद कर शरीफ खॉ के नाम बयनामा अपनी अर्जित आय से पंजीबद्ध करा दिया था। इस प्रकार शरीफ खॉ का उक्त स्वर्गीय श्री बुद्धसिंह की उक्त आराजी से कोई संबंध व सरोकार नहीं रहा था तथा उक्त जमीन को यूआईटी द्वारा अधिग्रहण किये जाने के पश्चात वादी संख्या 01 ने उसका अकेले ने मुआवजा भी प्राप्त कर लिया है तथा जिसका उल्लेख उक्त वसीयत दिनांक 30.01.2012 में भी किया हुआ है यह कहना गलत है कि बुद्धसिंह को अपने बहकावे में लेकर व बुद्ध सिंह को ऑखो से कम दिखाई देने व कानो से कम सुनाई देने का बेजा लाभ उठाकर वादग्रस्त आराजीयात एक फर्जी, नुमाईशी वसीयतनामा तैयार की गई है तथा बुद्धसिंह जब तक जीवित रहे तब तक स्वस्थ्यचित थे और उनको सोचने समझने की पूरी शक्ति थी तथा उक्त वसीयत दिनांक 30.01.2012 के निष्पादन के बाद हज जाने के लिए उक्त बुद्धसिंह ने अपना एक पास–पोर्ट संख्या के 4426150 बनवाया था, जो दिनांक 10.04.2012 को जारी किया गया था तथा जिसकी अवधि दिनांक 09.04.2022 तक थी तथा उक्त स्वर्गीय श्री बुद्धसिंह को दिनांक 28.08.2013 को साउदी अरब हज जाने के लिए वीजा भी दिया गया था यह कि उपरोक्त स्थितियों व परिस्थितियों तथा दस्तावेज के निष्पादन किया गया गया जिससे स्पष्ट है कि बुद्धसिंह स्वस्थ्य थें

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

वकुलाय की बहस सुनी गई वकुलाय द्वारा जबाव एंव प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को ही दोहराया गया हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्षों की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र 212 राज. काश्त. अधि. के निर्णय से पूर्व तीन बिन्दुओं प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं नापूर्ति क्षति पर गौर करना होता है।

1 **प्रथम दृष्टया केस** :– न्यायालय को सर्वप्रथम प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज (राजस्व रिकार्ड) पर गौर कर यह देखना है कि आया प्रार्थी का केस प्रथम दृष्टया बनना पाया जाता है अथवा नहीं। प्रार्थी ने प्रा0पत्र की ताईद में नकल जमाबन्दी सम्वत 2071–74 वाके ग्राम सामोला तहसील अलवर पेश की है। प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित आराजी के प्रार्थी/अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार नही है रिकार्ड खातेदार प्रार्थी/अप्रार्थीगण के पिता का नाम अंकन है वकील प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत आराजी के पैतृक होने बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया। जिससे यह साबित हो सके कि विवादित आराजी पैतृक है चूकि न्यायिक सिद्वान्तो के अनुरूप भी रिकार्डेड खातेदार को अस्थाई/स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नही होता है दावे मे प्रस्तुत वसीयत के कम मे किसी भी सक्षम न्यायालय के कोई आदेश प्रस्तुत नही हुये है जिसमे रजिस्ट्रर्ड वसीयत को निषप्रभावी किया गया हो तथा प्रस्तुत वसीयत के कम मे दावे में साक्ष्य व सबूत के आधार पर मेरिट पर निर्णय किया जावेगा। इस प्रकार प्रथम दृष्टया केस अप्रार्थीगण के हक में साबित होते है।

2 **सुविधा का सन्तुलनः**–अप्रार्थी विवादित आराजी के कब्जेकाश्त काश्तकार है संलग्न राजस्व दस्तावेजात एंव रजिर्स्टड वसीयत से इसकी पुष्टि होती है। प्रार्थी ने जबाव प्रा0 पत्र में कथन किया है कि अप्रार्थी जबरन नाजायज कब्जा करने की नियत रखते है परन्तु ऐसा कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह साबित होता हो नाही साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जबकि अप्रार्थी द्वारा कथन किया है कि वह काफी अरसे से ही आराजी पर काबिज है तथा मौके पर उनका कब्जा है अप्रार्थी के कथनो की काफी हद तक प्रमाणिकता वहस दौरान प्रस्तुत वसीयत प्रति/और वादी के द्वारा लिखित हलफनामा स्टाम्प न0 45 एए 201528 पर नोटेरी से तस्दीकशुदा जबाव से भी होती है इस प्रकार सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थीगण के हक में साबित होता है।

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा

3. अपूर्णीय क्षति :—विवादित आराजी कृषि भूमि है एंव खातेदार प्रार्थी/अप्रार्थी के पिता के नाम दर्ज है जिनका स्वर्गवास हो चुका हैं अर्थात वर्तमान मे पक्षकारान की संयुक्त कब्जेकाश्त की खातेदारी की अबट आराजी है अबट आराजी में प्रत्येक खातेदार का अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी पर इंच इंच पर हिस्सा होता है अप्रार्थीगण उक्त अबट आराजी पर निर्माण कार्य आदि कर रहे है ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नही किया गया है प्रार्थी ने विवादित आराजी पैतृक होना अंकित किया है जबकि प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रश्नगत आराजी पुश्तैनी जायदाद है तथा वसीयत को भी किसी सिविल न्यायालय द्वारा आदिनाक तक निरस्त किया हो इसका भी कोई प्रमाण पत्रावली नही है अतः सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित हो चुके है तो नापूर्ति होने वाली क्षति भी प्रार्थी को ना होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में पाई जाती है।

यह स्पष्ट है कि अस्थाई निषेधाज्ञा देने के लिए तीनों शर्ते प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं नापूर्ति क्षति पूरी होनी चाहिए। यहां तीनो बिन्दु केस अप्रार्थी के पक्ष में पाया जाता है उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तः अधिनियम आराजी खसरा नम्बर हाल 37/454, 95, 178, 240, 283, 284 वाके ग्राम सामोला तहसील अलवर खारिज किया जाता है।

प्रतिक जुईकर (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर

निर्णय आज दिनांक 24 —12—24 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

प्रतिक जुईकर (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर